



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2895]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 2, 2019/भाद्र 11, 1941

No. 2895]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 2, 2019/BHADRA 11, 1941

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2019

का.आ. 3162(अ).—राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि अधिनियम की धारा 3, 4, 5, 6, 8, 11, 16, 17, 18, 19, 56 और 57 के प्रावधान दिनांक 2 सितंबर, 2019 से लागू होंगे।

[फा.सं.वी.11025/16/2016-एमईपी]

सुधांश पंत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2019

S.O. 3162(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019), the Central Government hereby notifies that the provisions of sections 3, 4, 5, 6, 8, 11, 16, 17, 18, 19, 56 and 57 of the said Act shall come into force with effect from the 02nd day of September, 2019.

[F.No. V.11025/16/2016-MEP]

SUDHANSH PANT, Jt. Secy.

4536 GI/2019